

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 04/2018 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

दायर दिनांक 10.07.2018

निर्णय दिनांक 26.09.2018

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती कान्ता साहू पत्नी श्री गोपाल साहू (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स गणपति तेल एवं मिष्ठान भण्डार पुराने थाने के पीछे मैन मार्केट भीम
जिला राजसमन्द

- विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री श्रीराम मिश्रा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सब स्टेडर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्रीमती कान्ता साहू पत्नी श्री गोपाल साहू (विक्रेता एवं मालिक) जो की बर्फी (मावा मिठाई) बेचने का कार्य करता है । इनकी दूकान मैसर्स गणपति तेल एवं मिष्ठान भण्डार पुराने थाने के पीछे मैन मार्केट भीम जिला राजसमन्द पर दिनांक 07.08.2017 को समय 03.00 पीएम पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण दूकान पर एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलो बर्फी (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखी हुई थी। जिसमें मिलावट का शक होने पर 2 किलो बर्फी (मावा मिठाई) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 440/- विक्रेता को नगद अदा कर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर है। मौके पर जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा बर्फी (मावा मिठाई) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार सुखी साफ खाली कांच की बोटल्स में बराबर मात्रा में डाला जिसकी मात्रा प्रत्येक नमूना बोटल में 500 ग्राम रही । प्रत्येक नमूना बोटलस में 40 बूंद फार्मलिन की डाली एवं सील टाईट पैक किया इस तरह 4 नमूना भाग बनाए एवं एक जैसे चार लेबल तैयार कर चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये । सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.

Or

आई -721 नियमनुसार चारो नमूना सीलड पैकेटस पर अंकित कर नमूने की सीलड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2017/2286 दिनांक 17.08.2017 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/440/एक्ट/2017/436 दिनांक 11.08.2017 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना बर्फी (मावा मिठाई) सब स्टैडर्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 03.01.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपने जबाब में अवगत कराया कि बर्फी बनाते समय ट्रे में तेल लगाने की बजह से हो गया है। भविष्य में ध्यान रखते हुये यह गलती नहीं होगी। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लेने से गवाहान आदि को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का बर्फी (मावा मिठाई) सब स्टैडर्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (II) का उपयोग करते हुए उक्त केस में सब स्टैडर्ड बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को कुल 10,000/- रूपये (अक्षरे रूपया दस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

